प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012

दिनांक 19–20 अक्टूबर, 2012

राजस्थान विशेष आवास योजना

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

राज्य में होने वाली अतिवृष्टि, **बाढ, आगजनी, भूकम्प आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा** के कारण राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित परिवारों के पुनर्वास एवं आवास निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकार ने प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को अनुदान सहायता देने के लिये'' राजस्थान विशेष आवास योजना'' लागू की है।

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अवस्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के ऐसे परिवार जिनके आवास अतिवृष्टि वर्ष 2012–13 के दौरान एवं भविष्य में अतिवृष्टि, बाढ, आगजनी, भूकम्प आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा से सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होंगें, को सुगमता पूर्वक एवं त्वरितगति से नवीन आवास निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रता

- अतिवृष्टि वर्ष 2012–13 से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके आवास (कच्चा/पक्का) जो क्षतिग्रस्त/सारवान रूप से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से ध्वस्त हुआ हो।
- आपदा प्रभावित ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है एवं डूब क्षेत्र में अवस्थित हैं को ग्रामीण/नगरीय निकायों द्वारा सरकारी/निजी क्षेत्र की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई. डब्ल्यू.एस. श्रेणी में आरक्षित किये गये क्षेत्र में एवं योजना क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने पर सिवाय चक अथवा निकायों के स्वामित्व की आबादी भूमि पर प्राथमिकता से नियमानुसार न्यूनतम 30 वर्गगज क्षेत्रफल का भूखण्ड आवास निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित किया जायेगा।

पात्रता

- यदि नगरीय/ग्रामीण निकायों में किसी आवासीय योजना में पूर्व से निर्मित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आवास उपलब्ध हो तो उक्त आवासों को भूखण्ड व राशि के स्थान पर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि संबधित ग्रामीण/ नगरीय निकाय को दी जा सकेगी। यह आवास पूर्णतः अहस्तान्तरणीय होगा लेकिन यह आवास वारिस के तौर पर लाभार्थी के विधिक उत्तराधिकारी को हस्तान्तरण हो सकेगा।

एन.जी.ओ/ट्रस्ट की भागीदारी

- यदि कोई एन.जी.ओ./ट्रस्ट भी उक्त योजना में आवास निर्माण करना चाहें तो ऐसे एन. जी. ओ./ट्रस्ट को अपने स्त्रोतों से राज्य सरकार द्वारा देय राशि की कम से कम 25 प्रतिशत राशि contribute करनी होगी।

नोडल विभाग

नगरीय एवं शहरी क्षेत्र हेतु – स्वायत्त शासन विभाग
ग्रामीण क्षेत्र हेतु – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर (RAVIL)

वित्तीय व्यवस्था

- राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर (RAVIL) द्वारा हुडको से ऋण लिया जाकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पीडितों हेतु जिला परिषदो तथा शहरी क्षेत्रों के पीडितों हेतु नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी
- ऋण की ब्याज दर Floating रहेगी तथा ऋण के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का ही रहेगा
- वर्ष 2012–13 में रुपये 50.00 करोड तक का ऋण HUDCO से लिया जा सकेगा। आगे के वर्षों के लिये अलग से वित्त विभाग की अनुमति से राशि ली जा सकेगी।

ईकाई अनुदान

क्र सं.	प्रभावित परिवार की स्थिति	अनुदान राशि की अधिकतम सीमा
1	पूर्णत क्षतिग्रस्त आवास (कच्चा / पक्का मकान)	50 हजार रूपये प्रति आवास
2	आंशिक क्षतिग्रस्त आवास	25 हजार रूपये प्रति आवास एकमुश्त
3	प्रत्येक आवासीय इकाई में शौचालय निर्माण	ग्रामीण क्षेत्र में 4600 व शहरी क्षेत्र में 5000 रूपये का अनुदान अन्य योजनाओं में प्राप्त राशि में से देय होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गॉधी नरेगा के अन्तर्गत (बी.पी.एल. एवं अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लिये) अधिकतम रु 4500 / – तक की मस्टरोल पर सहायता देय है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.1.2011 को जारी सी.आर.एफ (NDRF/SDRF) के तहत निर्धारित मापदण्डो में आने वाले पात्र लाभार्थियों को निम्नानुसार सहायता देय होगी

(A) पूर्णतः क्षतिग्रस्त /ध्वस्त मकानो के लिये	
पक्का मकान	रु 35,000/– प्रति मकान
कच्चा मकान	रु 15,000/– प्रति मकान
(B) गम्भीर रुप से क्षतिग्रस्त मकान	
पक्का मकान	रु 6,300/– प्रति मकान
कच्चा मकान	रु 3,200/– प्रति मकान

(C)	आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त मकान – पक्का एवं कच्चा दोनो तरह के मकानो (झोपडियों के अतिरिक्त जहां पर क्षति कम से कम 15 प्रतिशत हो)	रु 1900/– प्रति मकान
(D)	क्षतिग्रस्त /ध्वस्त झोपडियां	रु 2500/– प्रति झोंपडी (hut)
(E)	पशुओं का क्षतिग्रस्त छप्पर (आवास से attached)	रु 1250/– प्रति छप्पर

लाभार्थी की भागीदारी

- नवीन आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकेगा।
- नवीन आवास के निर्माण के सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता होगी, परन्तु आवास निर्माण पक्का होगा। आवास का निर्माण पक्का कराया जाना अनिवार्य हैं, पक्का आवास से तात्पर्य पक्की दीवारे व पक्की छत (आरसीसी/पट्टी आदि) से है।
- इसके साथ ही आवास में फ्लश शौचालय पूर्व में उपलब्ध नहीं है, तो उसका निर्माण कराना भी अपेक्षित होगा ।

लाभार्थी की भागीदारी

- नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा राविल से राशि प्राप्त कर प्रथम किश्त की राशि 40 प्रतिशत लाभार्थी के खाते में जमा करवाई जावेगी। लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण लिंटल लेवल तक पूर्ण कर, निर्माणाधीन आवास का फोटो एवं द्वितीय किश्त की मांग का आवेदन पत्र (प्रपत्र–2 में) संबंधित जिला परिषद/नगरीय निकाय को दी जावेगी।
- द्वितीय किश्त की राशि (40 प्रतिशत) लाभार्थी के खाते में जमा होने पर छत, खिडकी एवं दरवाजों का कार्य पूर्ण कर, साईन बोर्ड सहित लाभार्थी एवं आवास का फोटो के साथ तृतीय किश्त की मांग का आवेदन (प्रपत्र–3 मे) संबंधित जिला परिषद/नगरीय निकाय को दिया जावेगा।

लाभार्थी की भागीदारी

- लाभार्थी को मुख्य दरवाजे के दांयी अथवा बांयी ओर ऑयल पेन्ट से एक साईन बोर्ड 2 फुट X 2 फुट आकार का बनवाना होगा।
- तृतीय किश्त की राशि (20 प्रतिशत) लाभार्थी के खाते में जमा होने पर लाभार्थी को अपने आवास के प्लास्टर/पेंटिंग, आंगन आदि (finishing) का कार्य शीघ्र कराना होगा।
- स्वीकृत अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा।

आवास का डिजाईन

- आवास के लिए कोई डिजाइन निर्धारित नहीं हैं।
- योजनान्तर्गत आवासों का ले–आउट, आकार और डिजाइन स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लाभार्थी अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कर सकता हैं, परन्तु आवास का निर्माण न्यूनतम 100 वर्गफुट पक्का होना चाहिए।
- निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा।

निर्मित आवासों की सूची

इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की एक पूर्ण सूची जिला परिषद/नगरीय निकाय व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्तर पर संधारित की जायेगी जिसमें आवासों का निर्माण शुरू होने तथा पूरा होने की तारीख, ग्राम पचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद/नगरीय निकाय का नाम व पता जहां आवास स्थित है, लाभार्थियों के नाम, श्रेणी, व्यवसाय, स्वीकृत राशि एवं भुगतान राशि आदि का विवरण होना आवश्यक है।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

संबंधित जिला परिषदों/नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन संतोषप्रद हो रहा है और आवासों का निर्माण समुचित गुणवत्ता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समय बद्ध रूप से हो रहा हैं।

धन्यवाद